विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0023512</u>

मेसर्स पवन कॉटन इण्डस्ट्रीज,
वरला रोड, सेंधवा,
जिला – बड़वानी (म.प्र.) – आवेदक

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (ईक्षे),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

– अनावेदकगण

अधीक्षण अभियंता (संचा/संधा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड,
बड़वानी (म.प्र.)

(आदेश दिनांक 04.01.2013)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0214211 मेसर्स पवन कॉटन इण्डस्ट्रीज विरूद्ध मुख्य अभियंता (ईक्षे), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.) तथा अन्य एक में पारित आदेश दिनांक 08.02.2012 से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता/आवेदक ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ।

2. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक उपभोक्ता मेसर्स पवन कॉटन इण्डस्ट्रीज वृत्त, सेंधवा द्वारा 230 केवीए विद्युत भार का उच्च दाब कनेक्शन 33 केव्ही में लिया गया था, उसके आवेदन पर अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी ने 100 केवीए का अतिरिक्त विद्युत भार आवेदक उपभोक्ता को दिये जाने का प्रस्ताव दिनांक 24.07.2008 के द्वारा मंजूर किया गया । इस तरह आवेदक उपभोक्ता के 230 केवीए विद्युत भार को 330 केवीए बढ़ाने की सहमति उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य होने के पश्चात् आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर दिनांक 19.02.2008 को दोनों पक्षों के बीच अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया । अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार 230 केवीए के स्थान पर 330 केवीए भार बढ़ाए जाने की सूचना अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री द्वारा विद्युत संहिता, 2004 के नियम 7.7 के अनुसार उपभोक्ता को प्रदान किया जाना था, परन्तु अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के ऐसे अधिकारी द्वारा या अन्य किसी अधिकारी द्वारा भार बढ़ाने की सूचना उपभोक्ता को नहीं दी गई । दिनांक 20.09.2008 को भार बढ़ाने का अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद अक्टूबर, 2009 तक उपभोक्ता को 230 केवीए भार का बिल जारी किया जाता रहा । दिसम्बर 2009 में उपभोक्ता को जो बिल दिया गया वह नवम्बर 2009 में उपयोग की गई विद्युत खपत के लिये था । विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी यह बिल 230 केवीए भार का नहीं था, अपितु बढ़े हुए भार अर्थात् 330 केवीए के मान से यह बिल जारी किया गया था । उपभोक्ता द्वारा उक्त बिल के संबंध में कोई आपत्ति नहीं गई थी और बिल की राशि को जमा किया गया था । इसके पश्चात् अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की अंतरिम ऑडिट पार्टी ने यह पाया कि अनुबंध दिनांक

19.09.2008 को निष्पादित होने के पश्चात् अतिरिक्त लोड दिनांक 23.09.2008 को बढ़ा दिया गया है । अतः दिनांक 23.09.2008 को बढ़े हुए भार के अनुपात में बिल जारी किया जाना चाहिए था । ऐसी स्थिति में ऑडिट दल ने 100 केवीए की बिलिंग वर्ष 2008 एवं 2009 की दिनांक 23.09.2008 से किये जाने के पश्चात् उपभोक्ता से 149651/– रू. की राशि वसूल किये जाने का निर्देश दिया, इसी राशि के संबंध में उपभोक्ता द्वारा शिकायत की गई है ।

3. आवेदक उपभोक्ता ने इस आशय की शिकायत फोरम के समक्ष की थी कि अतिरिक्त भार बढ़ाये जाने का अनुबंध दिनांक 19.09.2008 को निष्पादित होने के पश्चात् अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसे भार बढ़ाए जाने की सूचना नहीं दी गई । नवम्बर, 2009 में खपत की गई विद्युत ऊर्जा के लिये उसे दिसम्बर, 2012 में जो विद्युत बिल भेजा गया वह बिल 230 केवीए के स्थान पर 330 केवीए का था । इस बिल से उसने यह माना कि उसका भार बढ़ा दिया गया है, अतः बढ़ी हुई दर से उसने बिल का भुगतान किया परन्तु, ऑडिट पार्टी द्वारा दिनांक 23.09.2008 से अतिरिक्त भार बढ़ाया जाना मानकर जो अतिरिक्त राशि वसूल करने का निर्देश दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को जब भार बढ़ाने की सूचना ही नहीं दी गई है तब उसे बढ़े हुए भार की दर से धनराशि अदा करने के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है ।

4. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध इस आधार पर किया गया है कि दिनांक 19.09.2008 को उभय पक्ष के मध्य निष्पादित अनुबंध के अनुसरण में यदि भार नहीं बढ़ाया गया था तो उपभोक्ता को इसकी शिकायत अनावेदक कम्पनी के उत्तरदायी अधिकारियों के समक्ष करना था, परन्तु उसके द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी । कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) मप्रपक्षेविविकंलि, सेंधवा ने मुख्य अभियंता (ईक्षे) कार्यालय को यह जानकारी दी गई थी कि उपभोक्ता का अतिरिक्त लोड दिनांक 23.09.2008 को रिलीज कर दिया गया है ऐसी स्थिति में अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) मप्रपक्षेविविकंलि, बड़वानी वृत्त द्वारा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, खरगोन को दिनांक 27.11.2009 बड़वानी के पत्र द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि आवेदक उपभोक्ता का लोड दिनांक 23.09.2008 को रिलीज किया गया है, परन्तु उसकी बिलिंग 230 केवीए के अनुसार की गई है, जबकि ऐसी बिलिंग बढ़ी हुई अतिरिक्त संविदा मांग 100 केवीए अर्थात् कुल 330 केवीए के अनुसार किया जाना चाहिए था । अतः बढ़ी हुई संविदा मांग के आधार पर विद्युत बिल जारी किया जाए । इसी अनुसरण में विद्युत बिल जारी किया गया था, जिसे उपभोक्ता द्वारा अदा किया गया और ऑडिट द्वारा जो राशि अदा करने का निर्देश उपभोक्ता को दिया गया है वह सही है, क्योंकि दिनांक 23.09.2008 से आवेदक उपभोक्ता को 230 केवीए के स्थान पर 330 केवीए की संविदा मांग कर दी गई थी ।

5. विद्युत उपभोक्ता फोरम ने यह पाया है कि आवेदक उपभोक्ता को इस बात की जानकारी थी कि दिनांक 19.09.2008 को अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद उसका भार 230 के स्थान पर 330 कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कोई भी सहायता पाने का अधिकारी नहीं है ।

6. विद्युत उपभोक्ता फोरम के आदेश से असंतुष्ठ होकर आवेदक उपभोक्ता द्वारा यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 19.09.2008 को भार बढ़ाने का अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद भार बढ़ाने की सूचना देने का दायित्व अनावेदक पर था । उपभोक्ता को भार बढ़ाने की सूचना नहीं दी गई थी । दिसम्बर, 2009 में उसे बढ़े हुए भार का बिल प्राप्त हुआ था, जिसे उसने भार

बढ़ाये जाने की सूचना मानकर बढ़े हुए भार की दर से विद्युत बिल का भुगतान किया था, परन्तु नवम्बर 2009 के पहले उससे बढ़े हुए भार की दर से विद्युत बिलों का भुगतान करने के लिये जो बिल जारी किया गया है वह उससे वसूली के योग्य नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न यह है किः– क्या माह सितम्बर, 2008 से मार्च, 2010 के बीच के बिल की राशि 121851/– रू. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी आवेदक उपभोक्ता से वसूली पाने की अधिकारी है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है –

7. आवेदक उपभोक्ता तथा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य जो अनुबंध दिनांक 19 सितम्बर, 2008 को निष्पादित किया गया था उसमें यह प्रावधान था कि 330 केवीए भार बढ़ाए जाने की सूचना कम्पनी के क्षेत्राधिकार रखने वाले कार्यपालन यंत्री द्वारा उपभोक्ता को विद्युत संहिता, 2004 के नियम 7.7 के प्रावधानों के अनुसार दी जायेगी । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के नियम 7.7 के प्रावधान इस प्रकार है :–

> ***"7.7 नयी/वैकल्पिक मीटरिंग व्यवस्था सहित यदि प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक न हो तो बढ़ा हुआ भार, आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने के बाद अनुबंध में अंकित की गई तिथि से दिया जाएगा । यदि प्रणाली में किसी परिवर्तन अथवा किसी परिवर्धन की आवश्यकता हो तो नवीन कनेक्शन हेतु निर्धारित प्रक्रियां का पालन किया जाएगा ।"***

8. आवेदक उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र दिनांक 19.09.2008 तथा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के नियम 7.7 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि दिनांक 19.09.2008 को अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद अनावेदक कम्पनी के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा आवेदक उपभोक्ता को बढ़े हुए भार की सूचना नहीं दी गई थी ।

9. अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) मप्रपक्षेविविकंलि., बड़वानी वृत्त का पत्र जो क्षेत्रीय लेखाधिकारी, खरगोन को संबोधित है कि अंतर–वस्तु का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अधीक्षण यंत्री ने क्षेत्रीय लेखाधिकारी को सूचित किया था कि उपभोक्ता से दिनांक 19.09.2008 को अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात् अतिरिक्त लोड दिनांक 23.09.2008 को रिलीज किया गया है, जबकि लेखाधिकारी द्वारा उपभोक्ता को बिलिंग 230 केवीए के अनुसार की गई है, अतः उक्त अवधि की शेष संविदा मांग 100 केवीए की बिलिंग करके उपभोक्ता को विद्युत बिल जारी किया जाए । इस पत्र की प्रति कार्यपालन यंत्री, सेंधवा को इस टीप के साथ भेजी गई कि उनके कार्यालय द्वारा मुख्य अभियंता कार्यालय को यह जानकारी दी गई थी कि उपभोक्ता को अतिरिक्त लोड दिनांक 23.09.2008 को रिलीज कर दिया गया है । अधीक्षण यंत्री के उक्त पत्र में पत्र का क्रमांक तथा दिनांक अंकित नहीं है । प्रतिलिपि किस क्रमांक तथा दिनांक से भेजी गई इसका उल्लेख भी पत्र में नहीं है, परन्तु इस पत्र में लगे हुए मुद्रा–चिन्ह का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि संभवतः यह पत्र दिनांक 01.12.2009 को क्षेत्रीय लेखाधिकारी, खरगोन को प्राप्त हुआ था । इस पत्र की प्रति उपभोक्ता को नहीं दी गई है तथा कार्यपालन यंत्री सेंधवा द्वारा मुख्य अभियंता को किस माध्यम से सूचना दी गई थी, इसका स्पष्टीकरण भी इस पत्र से प्राप्त नहीं होता है ।

10. कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) ने पत्र **क्रमांक/से/समा/2011–12/3765** दिनांक 16.01.2012 अधीक्षण यंत्री, बड़वानी को संबोधित है, जिसमें कार्यपालन यंत्री ने अधीक्षण यंत्री को यह सूचित किया था कि अधीक्षण यंत्री, बड़वानी वृत्त के पत्र क्रमांक 3760 दिनांक 27.11.2009 जो कि क्षेत्रीय लेखाधिकारी,

खरगोन को संबोधित है, के अतिरिक्त दिनांक 23.09.2008 को अतिरिक्त लोड रिलीज किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं ।

11. अधीक्षण यंत्री, बड़वानी का पत्र क्रमांक 3760 दिनांक 27.11.2009, जिसमें मूल रूप से पत्र क्रमांक तथा दिनांक अंकित नहीं है तथा कार्यपालन यंत्री, सेंधवा का पत्र दिनांक 16.01.2012 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अनावेदक कम्पनी द्वारा इस तथ्य का समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि दिनांक 19.09.2008 को अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद इस अनुबंध की संविदा के अनुसार भार बढ़ाए जाने की लिखित सूचना उपभोक्ता को अनावेदक कम्पनी के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा दी गई थी ।

12. अनावेदक कम्पनी द्वारा भार बढ़ाए जाने की विधिवत् सूचना उपभोक्ता को दिया जाना साबित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या दिनांक 19.09.2008 को अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद उपभोक्ता का अतिरिक्त विद्युत भार बढ़ाया गया था ?

13. दिनांक 19.09.2008 को अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद भार बढ़ाए जाने की लिखित सूचना अनावेदक कम्पनी के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा आवेदक उपभोक्ता को दिया जाना साबित नहीं होता है, परन्तु आवेदक उपभोक्ता की शिकायत में यह तथ्य वर्णित है कि दिसम्बर, 2012 में उसे अनावेदक कम्पनी द्वारा जो बिल जारी किया गया था वह 230 केवीए के स्थान पर बढ़ी हुई संविदा मांग 330 केवीए का था और उसने इस बिल का भुगतान कर दिया था अर्थात् उपभोक्ता को जब नवम्बर 2009 का बिल प्राप्त हुआ था तो उसने यह माना था कि अनावेदक कम्पनी द्वारा उसका भार 230 केवीए के स्थान पर बढ़ा हुआ भार 330 केवीए कर दिया गया है ।

निष्कर्ष

14. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आवेदक उपभोक्ता को 230 केवीए के स्थान पर 330 केवीए विद्युत भार की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने विद्युत वितरण कंपनी से संविदा मांग बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया था तथा उभय पक्ष की सहमति से दिनांक 19.02.2008 को संविदा मांग बढ़ाए जाने का अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ था । भार बढ़ाए जाने के पूर्व उपभोक्ता के परिसर में नई/वैकल्पिक मीटरींग व्यवस्था या किसी प्रणाली में परिवर्धन या परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यदि ऐसा किया जाना आवश्यक होता तो अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नई/वैकल्पिक मीटरींग व्यवस्था की जाती अथवा प्रणाली में कोई परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता । परन्तु अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में ऐसा न किया जाना तथा उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में कोई मांग न किया जाना यही साबित करता है कि भार बढ़ाने के लिये मीटरींग व्यवस्था में या किसी प्रणाली में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक नहीं था ।

15. अतः भार बढ़ाने के पूर्व यदि मीटरींग व्यवस्था में या प्रणाली में कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक नहीं था तो अनुबंध पत्र में अंकित की गई तिथि से बढ़ा हुआ भार दिया जाना चाहिये था । अनुबंध पत्र में बढ़ा हुआ भार किस दिन से दिया जायेगा वह तिथि अंकित नहीं है, अपितु यह लेख है कि वितरण कंपनी के अधिकारी द्वारा बढ़े हुए भार की सूचना उपभोक्ता को दी जायेगी । परन्तु अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद कभी भी विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा उपभोक्ता को बढ़े हुए भार की सूचना नहीं दी गई थी । यह सामान्य प्रज्ञा की बात है कि उपभोक्ता ने अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत भार बढ़ाने के

लिये विद्युत वितरण कंपनी से अनुबंध किया था । दिनांक 19.09.2008 को अनुबंध निष्पादित होने के बाद मीटरींग व्यवस्था में या किसी प्रणाली में परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक न होने पर भी यदि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भार बढ़ाने की लिखित सूचना उपभोक्ता को नहीं दी गई थी तो उपभोक्ता द्वारा वितरण कंपनी से इस संबंध में आपत्ति करना था अथवा शिकायत करना था । परन्तु उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में किसी तरह की आपत्ति किया जाना नहीं पाया जाता है ऐसी स्थिति में इस तथ्य से यही अनुमान निकलता है कि अनुबंध पत्र निष्पादित होने की दिनांक से या कुछ दिन बाद ही उपभोक्ता की मांग के अनुसार भार बढ़ा दिया गया था, जिससे उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति हो गई थी और इसी कारण उसने भार न बढ़ाए जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की थी ।

16. आवेदक उपभोक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि उपभोक्ता को बढ़े हुए भार की आवश्यकता नहीं थी, इसलिये उसने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी । उपभोक्ता की ओर से किया गया यह तर्क एक सीमित अवधि के लिये तो मान्य किया जा सकता है, परन्तु 19.09.2008 के बाद दिसम्बर 2009 तक उपभोक्ता को बढ़े हुए भार की आवश्यकता नहीं थी । इस तथ्य को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यदि उपभोक्ता को लंबी अवधि तक बढ़े हुए भार की आवश्यकता न होती तो वह अनावेदक कंपनी को भार न बढ़ाने की लिखित सूचना दे सकता था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा ऐसा किया जाना नहीं पाया जाता है ।

17. दिसम्बर 2009 में उपभोक्ता को जो बिल दिया गया था वह नवम्बर 2009 में उपभोग किये गये विद्युत के लिये था । यह बिल 230 केवीए के स्थान पर बढ़े हुए भार 330 केवीए के लिये था । यदि उपभोक्ता को बढ़े हुए भार की आवश्यकता न होती अथवा उसके द्वारा बढ़े हुए भार के मान से विद्युत का उपयोग न किया जाता तो इसी बिल के संबंध में उपभोक्ता द्वारा अनावेदक के समक्ष इस बात की आपत्ति की जाती कि अनावेदक द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसे भार बढ़ाए जाने की सूचना नहीं दी गई है । सूचना प्राप्त न होने के कारण उसने बढ़े हुए भार के मान से विद्युत का उपयोग नहीं किया है, अतः जो बिल जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाए, परन्तु उपभोक्ता द्वारा आपत्ति न करते हुए बिल की राशि को जमा किया गया था । उपभोक्ता द्वारा ऐसा किया जाना यह साबित करता हैं कि उसे इस बात की जानकारी थी कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसकी संविदा मांग के अनुसार विद्युत भार बढ़ा दिया गया है ।

18. दिसम्बर माह में प्राप्त बिल को जमा करने के बाद भी उपभोक्ता द्वारा बढ़े हुए भार के संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी के समक्ष इस आशय की कोई लिखित आपत्ति या मौखिक आपत्ति नहीं की गई थी कि उसे भार बढ़ाए जाने की सूचना अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं दी गई है । उपभोक्ता द्वारा आपत्ति उस समय की गई जब अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उसे बढ़ी हुई दर से बकाया बिल जमा करने का मांग पत्र जारी किया गया । यदि अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ऐसा न किया जाता तो उपभोक्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति अनावेदक के समक्ष नहीं की जाती ।

19. किसी भी तथ्य के वास्तविक निष्कर्ष में पहुंचने के लिए पक्षकारों की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना आवश्यक होता है । आवेदक उपभोक्ता एक इण्डस्ट्री है, जिसका संचालन एवं संधारण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है । उक्त इण्डस्ट्री एक अशिक्षित उपभोक्ता की परिधि में नहीं आता । अनावेदक विद्युत

वितरण कंपनी के कर्मचारी हैं । उक्त विद्युत वितरण कंपनी एक निजी कंपनी न होकर पूर्णतः सरकारी कंपनी है और ऐसी कंपनी का संचालन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । सरकारी कंपनी के कर्मचारी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिये किसी उपभोक्ता को क्षति पहुंचायेंगे यह उपधारणा नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भार बढ़ाने की लिखित सूचना भले ही आवेदक उपभोक्ता कंपनी को न दी गई हो, परन्तु भार बढ़ाए बिना उन्होंने बढ़ी हुई दर से उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए बिल जारी किया था, इस बात को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है ।

20. आवेदक उपभोक्ता ने दिसम्बर 2009 में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बढ़ी हुई दर से विद्युत बिल जारी किये जाने पर उस बिल का भुगतान बिना किसी आपत्ति के उपभोक्ता द्वारा किया जाना तथा बाद में ऐसे बिल के संबंध में उपभोक्ता द्वारा कोई आपत्ति न करना यह साबित करता है कि उपभोक्ता को इस तथ्य की जानकारी थी कि अनुबंध पत्र निष्पादित होने के बाद अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसका विद्युत भार बढ़ा दिया गया है । ऐसी स्थिति में मात्र तकनीकी आधार पर भार बढ़ाए जाने की सूचना न दिये जाने मात्र से उपभोक्ता इस बात का लाभ नहीं उठा सकता कि नवम्बर 2009 के पहले महीनों का विद्युत बिल उससे बढ़े हुए भार के मान से वसूल नहीं किया जा सकता है ।

21. उपरोक्त विवेचन से यह साबित पाया जाता है कि माह सितम्बर 2008 से मार्च 2010 के बीच की अवधि के लिए अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आवेदक उपभोक्ता को रू. 121851/– का जो बिल जारी किया गया है, उस बिल की राशि को वसूल पाने का अधिकार अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी को है । अतः उपभोक्ता की शिकायत को विद्युत उपभोक्ता फोरम द्वारा निरस्त किये जाने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । फलतः फोरम के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा फोरम के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

22. आदेश की प्रति निशुल्क पक्षकारों को दी जाए । आदेश की एक प्रति के साथ फोरम की नस्ती वापस हो ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल